न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 01/2007 निर्णय दिनांक :— 05.03.2025

उनवान

1. सुगनामल आत्मज श्री ज्ञानमल सिंधी (मृतक नाऔलाद फौत)
2. गोपालदास आत्मज श्री ज्ञानमल सिंधी (मृतक जरिये वारिसान) :—
   - 2/1 — लीला पत्नी गोपालदास सिंधी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
   - 2/2 — राजेश पिता गोपालदास सिंधी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
   - 2/3 — दिलीप पिता गोपालदास सिंधी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
   - 2/4 — नीता पुत्री गोपालदास सिंधी पत्नी श्री ओमप्रकाश सिंधी उर्फ सोनू सिंधी निवासी भीलवाडा हाल निवासी दूदिया मोहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर।
   - 2/5 — रेखा पुत्री गोपालदास सिंधी पत्नी किशनदास सिंधी निवासी पंचवटी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— वादीगण

बनाम

1. श्री रमेशचन्द्र आत्मज श्री चुहडमल सिंधी, निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रकाशचन्द्र आत्मज श्री चुहडमल सिंधी, निवासी भीलवाडा तह0 व जिला भीलवाडा।
3. श्री लोकेश आत्मज श्री चुहडमल सिंधी, निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

—— प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की और से अधिवक्ता श्री शम्भुदास वैष्णव
3. प्रतिवादी संख्या 04 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र बाबत घोषणा, प्राप्त करने खातेदारी अधिकार एवं अधिकार अभिलेख विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01 व 02 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के संयुक्त खाते व संयुक्त कब्जे की कृषि आराजियात जो कि चौथमल पिता लीलाराम सिंधी की विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से में आयी है। कृषि भूमि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का पालडी भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा की आराजी नम्बर 2183/329 रकबा 05—10 बीघा, आराजी नम्बर 2185/332 रकबा 0—05 बीघा, आराजी नम्बर 2186/333 रकबा 03—05 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 09 बीघा भूमि स्थित है।

उक्त वर्णित कृषि आराजीयात चौथमल पिता लीलाराम सिंधी के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी और चौथमल के दो लड़के ज्ञानमल एवं चूहड़मल थे, लेकिन चूहड़मल बड़ा बेटा होने से राजस्व रेकार्ड में केवल अकेले के नाम पर नामान्तकरण की कार्यवाही हो गयी। जबकि उक्त आराजीयात पर वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता का 1/2 एक बटा दो हक हिस्से के अनुसार कब्जा एवं काश्त था और इसी अनुरूप वादीगण 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादीगण का भी 1/2 हक हिस्सा ही होकर कब्जा है। वादीगण वादपत्र में वर्णित कृषि आराजीयात पर वादपत्र में वर्णित सजरे के अनुसार 1/2 हक हिस्से के खातेदार है तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में घोषित कराये जाने के अधिकारी है। वादीगण को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पर दर्ज कर करवाने के अधिकारी है और विभाजन की डिकी भी वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि का करवाया जावे। वादपत्र के साथ जमाबन्दी 2045 से 2048 की पेश है, खसरा मिलान की नकल पेश है, जिसमें चौथमल को उपर वर्णित कृषि भूमि अलोटमेन्ट हुई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 13–01–1991 को हो गयी है और इसी प्रकार प्रतिवादीगण के पिता चूहड़मल का भी निधन हो गया है। प्रतिवादीगण चूहड़मल के वारिश है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार उपर वर्णित आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में नाम पर करवाये जाने बाबत् कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने स्पष्टतोर पर इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त आराजीयात के हम ही अकेले मालिक है। इस कारण हम तुम्हारे नाम पर नहीं करवायेगे। प्रतिवादीगण के मन में लालच पैदा हो गया है और उक्त आराजीयात को अन्य व्यक्तियों को विकय, रहन बय बक्षीस के द्वारा अन्तरण करने पर आमादा है और वादीगण को अपने 1/2 हक हिस्से से महरूम करना चाहते है, बेदखल करना चाहते है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 20–12–2006 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को उपर वर्णित कृषि से बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि हम उक्त आराजीयात को अन्य को विक्रय कर राशि प्राप्त कर लेंगे। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण को वाद कारण हासिल हुआ है। वादीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से कब्जा है।

वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि व वादपत्र में वर्णित सजरे के अनुसार वादीगण और प्रतिवादीगण के बिच आये दिन लडाई झगड़े व वाद विवाद उत्पन्न होते रहते है व लगान इत्यादि जमा कराने में भी परेशान ही रहते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह विवादग्रस्त कृषि भूमि जो कि वह अविभाजित पर जबरन कब्जा नही करे व वादीगण को अपने हक हिस्से से बेदखल नहीं करे। उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे। इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिकी जारी कराई जावे कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादपत्र में वर्णित सजरे के अनुसार वादीगण को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाया जावे।

बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिकी जारी कराई जावे कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादपत्र में वर्णित सजरे के अनुसार वादीगण को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी जारी कराई जावे कि वादपत्र में वर्णित कुलिया जायदाद से प्रतिवादीगण वादीगण को अपने हक हिस्से से बेदखल नहीं करे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रहन बय बक्षीस द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरण करावे व वादीगण को अपने हक हिस्से का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो प्रतिवादीगण करे और न ही किसी अन्य से करावे।

वादीगण का वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 31.08.2007 को जवाब पेश हुआ। जो निम्नानुसार है :–

वादग्रस्त आराजियात जो कि तन्हा रूप से प्रतिवादी जवाब दातागण के पिता चुहड मल जी सिंधी के हिस्से में रही थी जिसकी लिखतम वादीगण के पिता श्री ज्ञानमल ने प्रतिवादीगण के पिता के हक में सन् 1983 में की थी व लिखतम लिखा निशानी कर साखे लिखा कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर प्रतिवादीगण के पिता को दी थी। इस कारण जब वादीगण के पिता का ही अधिकार उक्त आराजियात में नहीं रहा तो वादीगण का कैसे हो सकता है व वादीगण का आज दिन तक उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा व न ही कब्जा है। वादी ने जो सजरा बताया है इससे कोई अधिकार वादीगण को नहीं मिलता है क्यों कि प्रतिवादीगण के पिता चुहडमल की ही यह आराजियात रही थी इस कारण वादीगण व वादीगण के पिता का कोई 1/2 हक वादग्रस्त आराजियात में नहीं है। वादपत्र के बिन्दु संख्या 03 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है वाद ग्रस्त आराजियात चुहडमल के हिस्से में आने से ही चुहडमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो वादीगण के पिता कि सहमती से हुई व प्रतिवादीगण के पिता ही एक मात्र खातेदार कास्तकार रहे इस कारण वाद ग्रस्त आराजियात प्रतिवादी गण के कब्जे काश्त व खातेदारी की है वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र कि चरण सख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है वादीगण का कोई कब्जा मोके पर नहीं है. व न ही कभी रहा है वादी गण कोई राजस्व रिकार्ड में वाद गस्त आराजियात का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम कराने का अधिकारी नहीं है। जब वादीगण का कब्जा ही नहीं है तो बेदसाल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता वादी गण ने कब्ज़ा होने की बाद झूठी बताई है। वादीगण को कोई हक व अधिकार वादग्रस्त आराजी पर नहीं है। वादीगण का कोई कब्जा मौके पर नहीं है व न रहा है, 30 वर्ष से कब्ज़ा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मजीद कथन वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के मध्य पारीवारिक सम्पति का बंटवारा हुआ था जिसमें वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में रही व वादी के पिता का अधिकार ही इस आराजियात में नहीं रहा तो वादीगण का अधिकार कैसे हो सकता है।

वादीगण वादीगण के पिता कि लिखतम से स्टॉप्ड Stopped है व लॉ ऑफ स्टॉपल (Law of stopel) के सिद्धान्त के अनुसार वाद करने का कोई अधिकार वादीगण को नहीं है।

वादीगण का कभी भी कब्जा वादग्रस्त आराजियात पर नहीं रहा व कब्जे बाबत झुठा आधार बना कर यह वाद पेश किया है। वादीगण क्लीन हेन्ड से न्यायालय के समक्ष नही आये है, इस कारण वादीगण का दावा खारीज होने योग्य है। वादीगण का दावा जाहीरा तौर बैरून मियाद है व वादीगण का खारीज होने योग्य है। जवाब दाता प्रतिवादी गण ही वाद ग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार है। वादी गण कोई आधा हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने जानबुझ कर प्रतिवादी गण की जमीन हडपने की गरज से झुठे आधार बना कर यह वाद पेश किया है जो वादीगण की कुटील चाल है। जवाबदाता प्रतिवादीगण ही वाद ग्रस्त आराजियात पर अपने पिता के समय से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। तथा वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। अत निवेदन है कि प्रतिवादी जवाब दातागण का जवाब स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद सव्यय खारीज कराया जावे ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 17.03.2008 को वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर वादीगण की अदम हाजरी एवं वादी अधिवक्ता की अदम पैरवी में वाद खारीज किया गया।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत् प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण ने न्यायालय आप में एक वादपत्र बाबत् प्राप्त करने खातेदारी अधिकार एवं अधिकार अभिलेख, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन था लेकिन दिनांक 17.03.2008 को प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।

उक्त वाद पत्र में तारीख पेशी 17–03–2008 को नियत थी, लेकिन उक्त तारीख को शिविर नगर परिषद, भीलवाड़ा में चल रहा था और वादीगण ने सुबह 11.00 बजे अदालत में उपस्थित हुआ, तब बताया गया कि अदालत 2:00 बजे चलेगी, वादीगण के अधिवक्ता 1.00 बजे जब न्यायालय में उपस्थित हुवे उस समय उक्त वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने का निर्णय पारित कर दिया, जबकि अधिवक्ता न्यायालय में सुबह 11 बजे एवं 1 बजे अदालत में उक्त मामले में संबंध में उपस्थित हुआ, माननीय न्यायालय ने वादीगण के वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने से वादीगण को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। मामला कृषि भूमि से संबंधित है तथा अधिकार घोषणा का मामला है, न्यायहित में उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकुल असर होगा। वादीगण न्याय से वंचित रह जायेगे एवं वादीगण की कृषि भूमि खुर्द बुर्द हो जायेगी। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र प्रकरण संख्या 01/2007 फैसल दिनांक 17–03–2008 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 का दिनांक 18.03.2008 को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश जारी किया गया। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में प्रतिवादी की और से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय आप द्वारा जो तनकीयात जो कायम की गई थी उसमे मियाद के बारे में कोई तनकी नहीं बनाई गई है, जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाबदावें में जवाबदावें की कलम नम्बर 16 में वाद जाहीरा और बैरून मियाद है इस तथ्य की तनकी नहीं बनाई गयी है जो न्यायहित में बनाया जाना आवश्यक है। "आया दावा मियाद में है" यह तनकी नम्बर 08 न्यायहित में बनाया जाना चाहिये इससे सही न्याय हो सकें। अतः प्रार्थना है कि मियाद की उपरोक्त तनकी बनाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 जा0दी0 दिनांक 24.08.2022 को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें मण्डल द्वारा निगरानी याचिका दिनांक 27.09.2022 को खारिज कर दी गई। माननीय मण्डल की विद्वान एकल पीठ के उक्त निर्णय के विरूद्ध नजरसानी रमेशचन्द्र, प्रकाश, लोकेश पुत्र चुहडमल सिंधी निवासी ज्योतिनगर भीलवाडा ने नजरसानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 5833/2022 दिनांक 25.05.2023 से विस्तृत निर्णय पारित करते हुये प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 05 खारिज हो जाने से प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 एक ही परिवार के सदस्य होकर चौथमल के वारिस है।

—— वादीगण

2. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 व 03 के संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि मौजा गोविन्दपुरा पटवार हल्का पालड़ी में वादपत्र के पैरा सख्या 02 के सजरे के अनुसार वादीगण का आधा हक हिस्सा निहीत है वादीगण आधा हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है एवं इसी हक हिस्से के अनुसार राजस्व रेकार्ड के दर्ज कराने का अधिकारी है।

—— वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण के पिता चूहड़ मल परिवार मे बड़ा पुत्र होने से उक्त आराजी अकेले अपने नाम पर करवाली जिसका उसे अधिकार नहीं था।

—— वादीगण

4. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 03 के पिता चुहड़मल के पिता चौथमल के नाम पर आंवटन हुई थी जिसके वादीगण का आधा हिस्सा निहीत है।

—— वादीगण

5. आया प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में किये गये एतराज के आधार पर बादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

—— प्रतिवादीगण

6. दादरसी
7. अनुतोष

प्रकरण में साक्ष्यवादी में शपथ पत्र सुगनामल आत्मज ज्ञानमल सिंधी निवासी भीलवाडा का दिनांक 15.07.2008 का प्रस्तुत किया गया जिसमें दस्तावेज ज्ञानमल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श– 01, जमाबन्दी संवत् 2063 से 2065 प्रदर्श– 02, नामान्तकरण की नकल प्रदर्श– 03, जमाबन्दी सवंत 2045 से 2048 प्रदर्श– 04, सेटलमेन्ट की खसरा मिलान प्रदर्श–05, सहायक भू–प्रबन्ध के दस्तावेज प्रदर्श– 06 से 12 तक होना अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

साक्ष्य वादी में सुगनामल आत्मज ज्ञानचंद सिंधी निवासी भीलवाडा के बयान दिनांक 30.06.2011 को कलमबद्ध किये गये जो पीडब्ल्यू– 01 है। साक्ष्यवादी से जिरह दिनांक 21.11.2012 को की गई जो अधुरी होने से रिजर्व रखी गई दिनांक 12.01.2015 एवं दिनांक 13.01.2015 को साक्ष्यवादी से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

साक्ष्यवादी गोपालदास आत्मज ज्ञानमल सिंधी निवासी भीलवाडा के बयान कलमबद्ध किये गये जो पीडब्ल्यू–02 है। साक्ष्यवादी के समर्थन में मूलचन्द पिता गंगाराम सिंधी निवासी भीलवाडा का एवं गोवर्धनदास पिता लेखुमल सिंधी निवासी भीलवाडा का शपथ पत्र दिनांक 15.01.2015 पेश हुऐ जो शामिल फाईल है। साक्ष्यवादी में दिनांक 22.01.2015 को गोवर्धनदास से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। इसके पश्चात् दिनांक 11.02.2015 को साक्ष्यवादी गोवर्धनदास एवं मूलचन्द सिंधी से जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई जो पीडब्ल्यू–03 व 04 है। गोपालदास सिंधी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.08.2020 का पेश किया जो शामिल फाईल है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की और से दिनांक 19.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब वादीगण द्वारा दिनांक 31.07.2023 को प्रस्तुत किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का निर्णय दिनांक 26.09.2023 को किया गया जो निम्नानुसार है – प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का वादीगण के वादपत्र संख्या 01/2007 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है कि जबकि वादीगण के इस वादपत्र में प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर दिया प्रकरण में तनकी वादीगण के इस वादपत्र में प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर दिया प्रकरण में तनकी कायम होकर वादीगण की और से साक्ष्य प्रस्तुत हो चुकी है, प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने साक्ष्य वादी पी0डब्ल्यू 01 व पी0डब्ल्यू 02 से दिनांक 13.01.2015 एवं पी0डब्ल्यू 03 से दिनांक 22.01.2015 व पी0डब्ल्यू 03 एवं पी0डब्ल्यू 04 से दिनांक 11.02.2015 प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा जिरह की जा चुकी है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 के बिन्दु संख्या 'क' से 'च' तक की किसी भी बिन्दु की वादीगण के वादपत्र अन्तर्गत धारा वाद बाबत् घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा पर त्रुटी होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

श्री रमेशचन्द्र, प्रकाश, लोकेश पुत्र चुहडमल सिंधी निवासी सराय भोपालगंज भीलवाडा ने निर्णय दिनांक 26.09.2023 के विरूद्ध निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2024 को निगराकार की निगरानी खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 को यथावत रखा गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निर्णय दिनांक 11.12.2024 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण को साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 13.01.2025 को नियत किया गया। इसके पश्चात् सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2025 कमशः 03.02.2025 नियत किया गया। इसके पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी लोकेश कुमार पुत्र चुहडमल का शपथ पत्र दिनांक 03.02.2025 को पेश हुआ। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी के मुख्य परीक्षण व जिरह हेतु प्रकरण सुनवाई हेतु 05.02.2025 नियत किया गया। नियत दिनांक 05.02.2025 को प्रतिवादी की और से साक्ष्य नहीं करवाई गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता को साक्ष्य प्रतिवादी के मुख्य परीक्षण व जिरह हेतु दिनांक 05.02.2025 को पाबन्द किया गया। इसके उपरान्त भी दिनांक 24.02.2025 को प्रतिवादी की और से साक्ष्य में शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण हेतु साक्ष्य प्रतिवादी को प्रस्तुत नहीं किया। जिससे साक्ष्य प्रतिवादी व साक्ष्य प्रतिवादी से वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की जा सकी। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 26.09.2023 से लम्बित चल रहा है प्रतिवादी प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी नहीं करवाई जा रही है अतः साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 24.02.2025 को बन्द की जाती है।

प्रार्थीगण योगेश पुत्र स्व0 कल्याणदास सिंधी, रवीना पुत्री कल्याण दास सिंधी, निकिता पुत्री कल्याणदास सिंधी, रेखा पुत्री कल्याणदास सिंधी निवासी नाथद्वारा सराय भीलवाडा की और से दिनांक 24.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 व धारा 151 जा0दी0 का पेश किया गया जिसकी एक प्रति वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को दी गयी। वादी अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र का बिना जवाब दिये ही बहस सुनने की प्रार्थना की। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी प्रार्थना पत्र पर बहस में सहमति प्रकट की। इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण प्रकरण में विलम्ब करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण पूर्व में ही राजस्व रेकार्ड में खातेदार है प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में जैरकार होते हुये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो मेटेनेबल नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 के साथ राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 अन्तिम चौसाला सम्वत् 2077 वर्ष 2021 में ग्राम गोविन्दपुरा के आराजी नम्बर 2183/329, 2185/332, 2186/333 कुल किता 03 कुल रकबा 02.2761 हैक्टेयर भूमि खातेदार द्रोपदी देवी पत्नी चूहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, निकिता पुत्री कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी, निशा पुत्री चुहडमल पति लक्ष्मणदास हिस्सा 1/7 सिंधी, प्रकाश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी, सा0 भीलवाडा, योगेश पुत्र कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रेखा पत्नी कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रमेश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रवीना पुत्री कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, लोकेश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, संगीता पुत्री चुहडमल पति राजकुमार हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात का प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी की स्टेज जैरकार होते हुये प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का व 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया है जो एकमात्र वाद प्रकरण को लम्बित करना प्रकट होता है इस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के पूर्व में ही खातेदार दर्ज होने से इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2025 अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का व 151 सी0पी0सी0 का खारिज किया जाता है।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र के बिन्दु संख्या 01 से लगायत 05 में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये वादीगण को 1/2 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने एवं वादीगण को 1/2 हिस्से से विभाजन कर खाता अलग राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावें वादपत्र में वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से के उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो प्रतिवादीगण करें न ही अन्य से करावें। इस आशय की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाबदावें में अंकित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 04 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के मध्य पारिवारिक सम्पति का बंटवारा हुआ था जिसमें वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में रखी गई इस प्रकार वादीगण के पिता की लिखतम से वादीगण का वाद लॉ ऑफ स्टॉपल (Law of Stopel) के सिद्धान्त के अनुसार स्टॉप्ड (Stopped) है। वादीगण का वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है वादीगण क्लीन हेंड से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है इस कारण वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है। वादीगण का दावा बैरून मियाद है। इस प्रकार वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण ने खारिज कराये जाने की प्रार्थना की है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावें का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का एवं तथ्यों को भलीभांति परीक्षण किया गया।

ग्राम पालडी के साबिक खसरा नम्बर 136/27 रकबा 10–10 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 333, 329, 332 रकबा 09 बीघा भूमि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा ने प्रकरण संख्या 3503/74 निर्णय दिनांक 06.11.1974 से श्री चौथमल पुत्र लीलाराम सिंधी सा. भीलवाडा को गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। ग्राम पालडी की जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 में आराजी नम्बर 2183/329 रकबा 05–10 बीघा भूमि एवं आराजी नम्बर 2185/332 रकबा 05 बिस्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 2186/333 रकबा 03–05 बीघा भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 09 बीघा भूमि श्री चौथमल पिता लीलाराम सिंधी सा0 भीलवाडा खातेदार दर्ज होकर विरासत से चौथमल के बजाय नामान्तकरण संख्या 656 दिनांक 10.01.1990 से चुहडमल पिता चौथमल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

चुहडमल पिता चौथमल सिंधी निवासी भीलवाडा की विरासत में नामान्तकरण संख्या 436 निर्णय दिनांक 30.09.2022 से द्रोपदी देवी पत्नी चूहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, निकिता पुत्री कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी, निशा पुत्री चुहडमल पति लक्ष्मणदास हिस्सा 1/7 सिंधी, प्रकाश पुत्र चुहड़मल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी, सा0 भीलवाडा, योगेश पुत्र कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रेखा पत्नी कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाड़ा, रमेश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रवीना पुत्री कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, लोकेश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, संगीता पुत्री चुहडमल पति राजकुमार हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा के नाम खातेदार दर्ज हुई। इस प्रकार चुहड़मल पिता चौथमल के वारिसान में रमेशचन्द्र, प्रकाश, लोकेश, द्रोपदी देवी, निशा, संगीता प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज है। इसके साथ ही चुहडमल के पुत्र कल्याणदास के वारिसान निकिता, योगेश, रेखा, रवीना प्रत्येक का 1/28 हिस्सा दर्ज है। वादी सुगनामल के नाऔलाद फौत हो जाने से इसका हिस्सा गोपालदास पिता ज्ञानमल सिंधी (मृतक) के वारिसान के हक में निहित हो जाने से वादीगण मृतक गोपालदास के वारिसान राजेश, दिलीप, लीला देवी, मुस्कान, रेखा वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

<u>तनकी संख्या 01</u> :– इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। चौथमल आत्मज लीलाराम सिंधी निवासी भीलवाडा की विरासत में नामान्तकरण संख्या 656 दिनांक 10.01.1990 प्रदर्श–03 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात चुहडमल आत्मज चौथमल निवासी भीलवाडा के नाम दर्ज हुई जो जमाबन्दी ग्राम पालडी सम्वत् 2045 से 2048 के खाता संख्या 489 प्रदर्श 04 से प्रमाणित है। चुहडमल आत्मज चौथमल निवासी भीलवाडा की विरासत में नामान्तकरण संख्या 436 दिनांक 30.09.2022 से खातेदार द्रोपदी देवी पत्नी चूहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, निकिता पुत्री कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी, निशा पुत्री चुहडमल पति लक्ष्मणदास हिस्सा 1/7 सिंधी, प्रकाश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी, सा0 भीलवाडा, योगेश पुत्र कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रेखा पत्नी कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रमेश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, रवीना पुत्री कल्याणदास हिस्सा 1/28 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, लोकेश पुत्र चुहडमल हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा, संगीता पुत्री चुहडमल पति राजकुमार हिस्सा 1/7 जाति सिंधी सा0 भीलवाडा खातेदार के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात चौथमल के वारिस चुहडमल एवं चुहडमल के वारिस द्रोपदी देवी पत्नी, निशा पुत्री, संगीता पुत्री, रमेशचन्द्र पुत्र, प्रकाश पुत्र, लोकेश पुत्र एवं कल्याणदास पुत्र मृतक के वारिस निकिता पुत्री, योगेश पुत्र, रेखा पुत्री, रवीना पुत्री है। चौथमल के वारिस ज्ञानमल पुत्र फौत इसके वारिस सुगनामल पुत्र नाऔलाद फौत एवं गोपालदास पुत्र फौत इसके वारिस राजेश पुत्र, दीलीप पुत्र, लीला देवी पत्नी, मुस्कान पुत्री, रेखा पुत्री है जिनका राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण चौथमल के वारिस है। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02</u> :– इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। वादग्रस्त ग्राम गोविन्दपुरा के आराजी नम्बर 2185/332 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 2186/333 रकबा 03–05 बीघा, आराजी नम्बर 2183/329 रकबा 05–10 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 09–00 बीघा चौथमल आत्मज लीलाराम सिंधी निवासी भीलवाडा की खातेदारी होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण चौथमल के वारिसान के आधार पर हक हिस्सेदार होकर वादीगण 1/2 हिस्से से एवं प्रतिवादीगण एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज द्रोपदी देवी पत्नी चुहडमल, निशा पुत्री चुहडमल, संगीता पुत्री चुहडमल, निकिता पुत्री कल्याणदास, योगेश पुत्र कल्याणदास, रेखा पत्नी कल्याणदास, रवीना पुत्री कल्याणदास सिंधी सा0 भीलवाडा 1/2 हिस्से से संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। इसी हिस्से के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। ग्राम गोविन्दपुरा के जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 अन्तिम चौसाला जमाबन्दी 2077 वर्ष 2021 के खाता संख्या 70 में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के विधिक वारिसान के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण भी चौथमल के पुत्र ज्ञानमल के विधिक वारिसान होने से 1/2 हक हिस्से से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

तनकी संख्या 03 :– इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। चौथमल आत्मज लीलाराम सिंधी निवासी भीलवाडा के नाम दर्ज ग्राम पालडी के आराजी नम्बर 2183/329, 2185/332, 2186/333 कुल किता 03 कुल रकबा 09 बीघा भूमि जमाबन्दी ग्राम पालडी सम्वत् 2045 से 2048 प्रदर्श–04 अनुसार चौथमल की विरासत में नामान्तकरण संख्या 656 दिनांक 10.01.1990 प्रदर्श–03 के आधार पर केवल चुहडमल पिता चौथमल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है जबकि चौथमल के दो पुत्र ज्ञानमल व चुहडमल होकर विरासत नामान्तकरण संख्या 656 में ज्ञानमल का नाम भी दर्ज होना चाहिये था। इस प्रकार विरासत नामान्तकरण में ज्ञानमल का नाम दर्ज नहीं होने से ज्ञानमल मृतक के वारिस सुगनामल एवं गोपालदास अपने हक अधिकार हेतु वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने का वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि सम्मत् है। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। ग्राम पालडी के साबिक आराजी नम्बर 136/27 रकबा 10–10 बीघा भूमि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 3503/74 निर्णय दिनांक 06.11.1974 के आधार पर चौथमल पुत्र लीलाराम सिंधी सा0 भीलवाडा के नाम हाल आराजी नम्बर 333, 329, 332 की भूमि गैर खातेदारी से दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये जो प्रदर्श–06 है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात चौथमल पुत्र लीलाराम के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गैर खातेदारी से दर्ज करने एवं हाल रेकार्ड में खातेदारी दर्ज होने से चौथमल पुत्र लीलाराम सिंधी सा0 भीलवाडा के विधिक वारिसान होने से वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज द्रोपदी देवी पत्नी चुहडमल, निशा पुत्री चुहडमल, संगीता पुत्री चुहडमल, निकिता पुत्री कल्याणदास, योगेश पुत्र कल्याणदास, रेखा पत्नी कल्याणदास, रवीना पुत्री कल्याणदास सिंधी सा0 भीलवाडा 1/2 हिस्सा के हकदार बनते है लेकिन वादग्रस्त आराजियात केवल प्रतिवादीगण के नाम पर ही दर्ज होने से वादीगण ने अपना 1/2 हक हिस्से की घोषणा कराने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है जो विधि सम्मत् है। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 :– इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता ज्ञानमल द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के हक में सन् 1989 में लिखतम के आधार पर वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के पिता को दी थी। इस कारण वादीगण के पिता का उक्त आराजियात में हिस्सा नहीं रहा है। लिखतम के आधार पर वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्सा नहीं बनता है। प्रतिवादी ने बटंवाडा पत्र साक्ष्य में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में बटंवाडा पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजियात केवल चुहडमल के वारिसान के नाम पर ही दर्ज नहीं रखी जा सकती है जबकि चौथमल आत्मज लीलाराम सिंधी के नाम की खातेदारी भूमि में चौथमल के दो पुत्र ज्ञानमल व चुहडमल हकदार बनते है। चौथमल की विरासत में केवल चुहडमल का नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से के लिये आपत्ति प्रकट कर रहे है जो विधि सम्मत् नहीं है। यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06 :– "दादरसी" वादीगण ने ग्राम गोविन्दपुरा के आराजी नम्बर 2183/329, 2185/332, 2186/333 कुल किता 03 कुल रकबा 09–00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है एवं विभाजन की डिक्री वादीगण को 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की गई है। इसके साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की चाही गई है कि प्रतिवादीगण वादी को अपने हक हिस्से से बेदखल नहीं करें न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करावें वादीगण को अपने हक हिस्से का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न प्रतिवादीगण करें और न ही किसी अन्य से करावें हर्जा खर्चा वकील वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम गोविन्दपुरा के साबिक आराजी नम्बर 136/27 रकबा 10–10 बीघा भूमि चौथमल आत्मज लीलाराम सिंधी निवासी भीलवाडा के नाम गैर खातेदारी से दर्ज थी जो जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 में श्री चौथमल सिंधी के नाम खातेदारी दर्ज होकर चौथमल सिंधी की विरासत में नामान्तकरण संख्या 656 दिनांक 10.01.1990 से चौथमल के बजाय चुहडमल पिता चौथमल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है जबकि पारिवारिक सजरे के अनुसाार चौथमल के दो पुत्र ज्ञानमल (फौत) 1/2 व चुहडमल (फौत) 1/2 दर्ज होना चाहिये लेकिन उपरोक्त आराजियात केवल चुहडमल के नाम दर्ज होकर चुहडमल के वारिसान के नाम पर ही दर्ज हुई जबकि ज्ञानमल के वारिसान में सुगनामल व गोपालदास के नाम पर दर्ज होनी चाहिये इसके पश्चात् सुगनामल नाऔलाद फौत व गोपालदास फौत के वारिसान जो कि वादीगण होकर 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रकरण में तनकी संख्या 01, 02, 03, 04 वादीगण के पक्ष में निर्णित करने से एवं तनकी संख्या 05 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित करने से वादीगण का वादपत्र बाबत् घोषणा, खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एवं अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करने और विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

वादीगण का वादपत्र बाबत् घोषणा, खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एवं अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करने और विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/5 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 2183/329, 2185/332, 2186/333 कुल किता 03 कुल रकबा 09–00 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज द्रोपदी देवी पत्नी चुहडमल, निशा पुत्री चुहडमल, संगीता पुत्री चुहडमल, निकिता पुत्री कल्याणदास, योगेश पुत्र कल्याणदास, रेखा पत्नी कल्याणदास, रवीना पुत्री कल्याणदास सिंधी सा0 भीलवाडा को 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/5 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार निकिता पुत्री कल्याणदास, योगेश पुत्र कल्याणदास, रेखा पत्नी कल्याणदास, रवीना पुत्री कल्याणदास सिंधी सा0 भीलवाडा का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें तद्नुसार डिक्री जारी करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 01 / 2007

निर्णय दिनांक :– 05.03.2025

उनवान

1. सुगनामल आत्मज श्री ज्ञानमल सिंधी (मृतक नाऔलाद फौत)
2. गोपालदास आत्मज श्री ज्ञानमल सिंधी (मृतक जरिये वारिसान) :–
   2/1 – लीला पत्नी गोपालदास सिंधी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/2 – राजेश पिता गोपालदास सिंधी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/3 – दिलीप पिता गोपालदास सिंधी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/4 – नीता पुत्री गोपालदास सिंधी पत्नी श्री ओमप्रकाश सिंधी उर्फ सोनू सिंधी निवासी भीलवाडा हाल निवासी दूदिया मोहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर।
   2/5 – रेखा पुत्री गोपालदास सिंधी पत्नी किशनदास सिंधी निवासी पंचवटी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

–– वादीगण

बनाम

1. श्री रमेशचन्द्र आत्मज श्री चुहडमल सिंधी, निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रकाशचन्द्र आत्मज श्री चुहडमल सिंधी, निवासी भीलवाडा तह0 व जिला भीलवाडा।
3. श्री लोकेश आत्मज श्री चुहडमल सिंधी, निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की और से अधिवक्ता श्री शम्भुदास वैष्णव
3. प्रतिवादी संख्या 04 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र बाबत घोषणा, प्राप्त करने खातेदारी अधिकार एवं अधिकार अभिलेख विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 की और से अधिवक्ता श्री शम्भुदास वैष्णव उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 05.03.2025 को पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

वादीगण का वादपत्र बाबत् घोषणा, खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एवं अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करने और विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/5 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 2183/329, 2185/332, 2186/333 कुल किता 03 कुल रकबा 09–00 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज द्रोपदी देवी पत्नी चुहडमल, निशा पुत्री चुहडमल, संगीता पुत्री चुहडमल, निकिता पुत्री कल्याणदास, योगेश पुत्र कल्याणदास, रेखा पत्नी कल्याणदास, रवीना पुत्री कल्याणदास सिंधी सा0 भीलवाडा को 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/5 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार द्रोपदी देवी पत्नी चुहडमल, निशा पुत्री चुहडमल, संगीता पुत्री चुहडमल, निकिता पुत्री कल्याणदास, योगेश पुत्र कल्याणदास, रेखा पत्नी कल्याणदास, रवीना पुत्री कल्याणदास सिंधी सा0 भीलवाडा का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा